न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :**प्रभा गौतम,** आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 195/2022 (रा.प्रा.पत्र)
पंजीयन दिनांक 10.12.2022
G.C.M.S. NO. :- 2022/195

श्री गोवर्धनलाल पिता कालू भील निवासी धनेत तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़

–प्रार्थी

बनाम

1–प्रकाशचन्द्र पिता जीतमल जाट निवासी धनेत तहसील भदेसर
2–श्रीमती मंजू पत्नी प्रकाशचन्द्र जाट निवासी धनेत तहसील भेदसर
3–तहसीलदार, भदेसर जिला चित्तौडगढ

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भूराजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम, 1970 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी, भदेसर के प्रकरण संख्या क्रमांक/राजस्व/आवंटनआदेश/2021–22 दिनांक 25.10.2021

उपस्थिति :– 1– श्री शिवनारायण जाट, अधिवक्ता प्रार्थी
2– श्री छोगालाल जाट, अधिवक्ता वि. सं. 1 व 2

:: निर्णय ::

दिनांक 16.04.2026

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना–पत्र अंतर्गत राजथान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(04) के अंतर्गत खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय भू आवंटन सलाहकार समिति उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर द्वारा विपक्षीगण को अतिक्रमी मानते हुऐ मौजा धनेत के खसरा सं. 615 रकबा 0.43 है. भूमि को अवैधानिक रूप से विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम आवंटन कर दी है। इस कारण उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु यह प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर पेश है। उपरोक्त विपक्षीगण को भू आवंटन नियमों के विपरीत किया गया है। विपक्षीगण भूमिहीन सद्भाविक काश्तकार नहीं हैं। उपरोक्त भूमि आवंटित की गई है उस पर विगत कई वर्षो से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थी ही उपरोक्त भूमि पर काश्त कर रहा है परन्तु विपक्षीगण द्वारा अनुचित प्रभाव डालकर तथा अनुचित प्रलोभन व भ्रष्टाचार के जरिये उपरोक्त आराजियात अपने नाम आवंटित करा ली है जबकि विपक्षीगण का कोई भी कब्जा नहीं रहा है। यह कि प्रार्थी का उपरोक्त भूमि पर कब्जा रहा इसके संबंध में धारा 91 भू राजस्व अधिनियम की कार्यवाही

तहसीलदार, भदेसर द्वारा की गई जबकि विगत तीन वर्षो में विपक्षीगण का आवंटन, की गई जमीन पर कब्जा रहा हो ऐसी कोई कार्यवाही नहीं हुई है। न ही विपक्षीगण द्वारा कोई दस्तावेज पेश किया है फिर भी विपक्षीगण को अतिक्रमी मानने में भारी भूल की है। यह कि पटवार हल्का की रिपोर्ट अवैध व गलत है तथा राजनैतिक प्रभाव प्रलोभन से कार्यवाही की गई है। जिसकी शिकायत करने पर जिला कलक्टर महोदय द्वारा तहसील भदेसर में हुऐ सभी आवंटन की जांच हेतु कमेटी गठित कर जांच कार्यवाही जारी है। यह कि भू आवंटन सलाहकार समिति की कोई बैठक नहीं हुई और सदस्य उपस्थित नहीं हुऐ तथा समिति की राय पूर्ण नहीं है एवं प्रधान व विकास अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं। आवंटन करने से पूर्व सूची सार्वजनिक व पंचायत बोर्ड़ पर चस्पा नहीं की गई तथा मिलीभगत कर अन्दरखाने से चुपके से अवैध कार्यवाही की गई, प्रार्थी से कोई आवेदन नहीं लिया गया एवं भूमि कीमती होने से अवैध लाभ विपक्षीगण को दिया गया। यह कि विपक्षीगण के खाते में काफी भूमि होने से विपक्षी के नोशनल शेयर से काफी भूमि आने से विपक्षी नं. 1 भूमिहीन की पात्रता में नहीं आता है और आवंटन की पात्रता नहीं रखता है। यह कि कृषि भूमि प्रयोजनार्थ भू आवंटन रूल्स 1970 में गलत ढंग से कराये गये आवंटन को खारिज कराने की कोई मियाद नहीं होती है। चूंकि यह एक शिकायत है और जांच कर विषय होने से यह प्रार्थना पत्र पेश है। आवंटन आदेश दिनांक 25.10.2021 को धोखे व षडयंत्रपूर्वक किया गया है एवं आवंटन की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई, इस कारण प्रार्थी को आवंटन आदेश की जानकारी नहीं है। प्रार्थी को अवैध आवंटन आदेश की जानकारी दिनांक 24.04.2022 को अखबार में सूचना प्रकाशित होने से हुई। उक्त आवंटन आदेश की नकल दरख्वाहस्त पेश करने पर दिनांक 13.05.2022 को उक्त नकले प्राप्त हुई और नकले प्राप्त होते ही यह प्रार्थना पत्र श्रीमान की सेवा में पेश है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा विपक्षीगण को किया गया भू आवंटन अवैध व नियमों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। दिनांक 23.12.2022 को विपक्षी संख्या 1 व 2 की और से उनके अधिवक्ता उपस्थित आये और अधिकार पत्र पेश किया। दिनांक 24.05.2024 को अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना-पत्र पेश किया गया है जो शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता हाजिर रहे। अधीनस्थ उपखण्ड़ अधिकारी, भदेसर ने अपने पत्रांक 248 दिनांक 13.12.2024 से वांछित अभिलेख जिला कार्यालय को भिजवाया जाना बताया तथा प्रभारी अधिकारी, राजस्व अनुभाग, जिला कार्यालय के पत्र क्रमांक 1889 दिनांक 20.11.2025 से वांछित अभिलेख उपलब्ध नहीं होना बताया। प्रकरण पर तहसीलदार, भदेसर से रिकार्ड एवं मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुऐ कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम पर मौजा धनेत की आ.सं. 615 में से रकबा 0.43 है. भूमि आवंटन किया गया है। विपक्षीगण भूमिहीन सद्भावी काश्तकार नहीं है उपरोक्त आवंटित की गई भमि पर विगत कई वर्षो से प्रार्थी का कब्जा चला आ रहा है तथा प्रार्थी ही उक्त भूमि पर काश्त कर रहा है। अतः आवंटन आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है।

विद्वान अधिवक्ता संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस का निवेदन कर अवगत कराया कि विपक्षी व उसी पत्नी भूमिहीन काश्तकार हैं तथा काश्त कर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। विपक्षीगण सं. 1 व 2 का आबाद रूप से कब्जा होकर काश्त की जा रही है। उपरोक्त कृषि भूमि को बडी अंग मेहनत लगाकर कृषि उपजाउ बनाया है। विपक्षी ने विधि पूर्वक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर ग्राम धनेत की आ.सं. 615 रकबा 0.43 है. कृषि भूमि को आवंटन हेतु प्रार्थना की जिस पर राजस्व विभाग द्वारा सम्पूर्ण जांच कर विपक्षी को आवंटन योग्य कृषक मानते हुऐ भूमि को आवंटित की एवं कब्जे का पर्चा मौका बनाया। इस प्रकार प्रार्थी गलत तथ्यों पर आवंटन निरस्त कराना चाहता है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बताया कि विपक्षीगण सद्भावी कृषक नहीं है तथा न ही भूमिहीन है अतः आवंटन निरस्त योग्य है। इस प्रकार विधि के प्रतिकूल भूमि आवंटित की है। आवंटित भूमि के संबंध में किसी भी प्रकार से कोई उद्घोषणा जारी नहीं की गई और ना ही उक्त आराजियात के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। बिना जांच पडताल के उक्त बिलानाम आराजियात का विपक्षीगण को आवंटन आदेश पारित कर दिया है तो अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है। अन्त में प्रार्थना की गई कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर विपक्षी संख्या 1 व 2 का आवंटन निरस्त फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। तहसीलदार, भदेसर से प्राप्त रिपोर्ट क्रमांक/भूअभि/2026/201 दिनांक 18.02.2026 का अवलोकन किया।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन मनन किया। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 101 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14 में कृषि योग्य भूमि के आवंटन की व्यवस्था की गई है कि :

101 – कृषि प्रयोजनों के लिये भूमि आवंटन –

(1) इस अधिनियम में अन्यत्र अन्यथा उपबंधित को छोड़कर, कृषि प्रयोजनो के लिए भूमि, ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से आवंटित की जायेगी जो राज्य सरकार इस निमित बनाये गये नियमों द्वारा विहित करें।

(2) इस धारा के अीन भूमि के समस्त आवंटन ऐसी दरों पर नियत लगाम के सदस्य के अध्यधीन होगें जो इस विषय पर बनाई गई किसी विधि द्वारा या रूढ़ि के अनुसार या प्रथा द्वारा नियम किये जावें।

(3) .....

(4) यदि एक की भूमि की एक से अधिक व्यक्ति अपेक्षा करते हों, तो आवंटन निम्नलिखित क्रम से किया जायेगा –

(i) जोत के सहअंशधारियों को, यदि वह एक ही सद्देत खण्ड़ का अंग हों या एक ही स्त्रोत से सिंचित हो, उक्त सहअंशधारियों में अधिमान उसको दिया जायेगा जिसके पास राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,

1955 (सन् 1955 का राजस्थान अधिनियम 3) के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित क्षेत्र से कम भूमि हो,

(ii) उस गांव में निवास करने वाले व्यक्तियों को, जहां भूमि स्थित है उक्त व्यक्तियों में अधिमान उनको दिया जोगा जिनके पास कोई भूमि नहीं हो या उक्त नियमों द्वारा विहित क्षेत्रफल से कम हो, और

(iii) लॉटरी निकाल कर

बशर्ते की इस प्रकार आवंटित क्षेत्रफल आर उसके द्वारा धारित क्षेत्रफल मिलकर उक्त कनयमों के विहित क्षेत्र से अधिक नहीं हो।

राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजन हेतु भूमि का आवंटन) नियम 14 (4) में निर्देशित किया हुआ है कि ''जिला कलक्टर को उपखण्ड़ अधिकारी द्वारा किये गये आवंटन को निरस्त करने का अधिकार होगा। यदि आवंटन हो गया हो तो इस आवंटन को रद्द करने हेतु तहसीलदार या स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवंटन करने पर जिला कलक्टर द्वारा आवंटन खारिज किया जा सकता है। आवंटन खारिज करने के निम्न आधार है :

1. धोखाधडी करके या गलत बयानी के जरिये आवंटन हासिल किया गया हो।
2. राजस्थान भू राजस्व (कृषि हेतु भूमि आवंटन प्रयोजन) नियम, 1970 के नियमों के विरूद्ध आवंटन करने पर।
3. आवंटन की शर्तो का उल्लघंन करने पर।

अधीनस्थ तहसीलदार, भदेसर से प्राप्त रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम धनेत पटवार मण्ड़ल पोटला कलां की आ.सं. 615 रकबा 10.34 है. किस्म बीड 1 वर्तमान में बिलानाम सरकार दर्ज है। ग्राम धनेत की आ.सं. 615 रकबा 10.34 है. में से 0.43 है. पर वर्तमान में श्री प्रकाशचन्द्र पिता जीतमल एवं मंजु पत्नी प्रकाशचन्द्र जाट निवासी धनेत का कब्जा नहीं होना पाया गया। ग्राम धनेत की आ.सं. 615 रकबा 10.34 है. में से 0.43 है. मौके पर पड़त मगरी है। आवंटी का आंवटित भूमि पर किसी प्रकार से कब्जा काश्त नहीं है एवं न ही आवंटन शर्तो की पालना की जा रही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का गहनता पूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया। जिसके अनुसार भू आवंटन कमेटी की सिफारिश पर तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, भदेसर द्वारा विपक्षी को मौजा धनेत, तहसील भदेसर की आराजी संख्या 615 रकबा 0.43 है. भूमि का आवंटन गैर खातेदारी हक से किया गया है। विद्वान अधिवक्ता विपक्षी द्वारा आवंटन दिनांक से निरन्तर आवंटित आराजीयात पर विपक्षी/आवंटी का कब्जा एवं काश्त होने संबंधी कथन किया है किन्तु अपने कथन की पुष्टि में ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिससे आवंटित आराजीयात पर विपक्षी का कब्जा एवं काश्त होने संबंधी कथन की पुष्टि होती हो। साथ ही तहसीलदार, भदेसर की उक्त वर्णित रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि विपक्षी मौके पर काबिज नहीं है एवं न ही किसी प्रकार की काश्त की गई है।

प्र. सं. 195/2022 (रा.प्रा.पत्र)
गोवर्धनलाल पिता कालू भील बनाम प्रकाशचन्द्र पिता जीतमल जाट वगैरह निवासी धनेत तहसील भेदसर

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि विपक्षी का उनको गैर खातेदारी हक से आवंटित भूमि/आराजीयात पर कभी कब्जा एवं काश्त नहीं रहा है, रिपोर्ट तहसीलदार, भदेसर अनुसार वर्तमान में भी भूमि पड़त है तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा फसल काश्त नहीं कर रखी है तथा विपक्षी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नहीं की गई है जिससे वर्तमान में उक्त भूमि/आराजीयात विपक्षी के खाते में दर्ज नहीं होकर सरकार के खाते में किस्म बिलानाम बीड़ 1 दर्ज रेकर्ड है। निष्कर्षतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं विपक्षी को मौजा धनेत, तहसील भदेसर की आराजी नम्बर 615 रकबा 0.43 हैक्टयर का जरिये आदेश क्रमांक/राजस्व/आवंटन आदेश/2021-22 दिनांक 25.10.2021 से किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 16.04.2026 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(प्रभा गौतम)
अतिरिक्त कलक्टर,
(प्रशासन) चत्तौड़गढ़